समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna-bih@nic.in

04-06-2013

–: आदेश :–

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–05–67/2008 में आवेदक **श्री संजीव शरण,** पिता–श्री भगवती शरण, सा0–इन्टेरियर नाला रोड, थाना–कदमकुआँ, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–04.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि इनका नाला रोड में Interiors नाम की फर्नीचर की दुकान है। आवेदक के द्वारा सुनवाई की पहली तिथि दिनांक–30.04.2013 को बताया गया था, कि वर्ष 2008 एवं 2010 में उनके साथ दो बार आपराधिक घटना घट चुकी है। जिसके संबंध में थाना कदमकुआँ में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उक्त घटना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–1884, दिनांक–06.05.2013 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गयी थी।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–744/गो0, दिनांक–16.05.2013 द्वारा इस संबंध में पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, कदमकुआँ के प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि आवेदक के भाई शैलेश कुमार, पिता–भगवती शरण के द्वारा कदमकुआँ थाना काण्ड सं0–344/08, दिनांक–20.09.2008 धारा–454,380 भा0द0वि0 दर्ज कराया गया था, जो अभी अनुसंधान अन्तर्गत है। कदमकुआँ थाना काण्ड सं0–169/10, दिनांक–24.05.2010 धारा–341,323,385,379,427,34 भा0द0वि0 वादी बबलु कुमार, पिता–मथुरा सिंह, ग्राम–बुल्ला बिगहा, थाना–सिलाव, जिला–नालंदा, वर्तमान इन्द्रइलिजियम अपार्टमेंट, थाना–कदमकुआँ, जिला–पटना द्वारा अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराया गया था, जो अभी अनुसंधान अन्तर्गत है। इस काण्ड के वादी आवेदक संजीव शरण के इन्द्रलोक कन्सट्रक्शन कम्पनी के मुंशी थे। आवेदक संजीव शरण इन्द्रलोक कन्सट्रशन कम्पनी में मैनेजिंग पार्टनर हैं एवं इनकी नाला रोड में Interiors नाम की फर्नीचर की दुकान है, जिसमें प्रतिदिन लाखों का ट्रान्जेक्शन बैंक से होते रहता है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के

पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा समर्पित लिखित बयान उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश तथा आवेदक द्वारा समर्पित बयान के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री संजीव शरण, पिता–श्री भगवती शरण, सा0–इन्टेरियर नाला रोड, थाना–कदमकुआँ, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री शरण को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।